राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

एफ4(9)पंरावि/पी.सी./वर्षा जल संरक्षण/2011-12 जयपुर, दिनांकः 30 JUL 2012

3 0 JUL 2012

-: परिपत्र :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 02.08.2004 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई दक्ष कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने एवं कैचमेन्ट एरिया को उनके मूल स्वरूप में लाने हेतु एक्शन प्लान तैयार करने हेतु निर्देश जारी किये गये है (परिशिष्ठ-1)।

निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान द्वारा उक्त रिट पिटिशन के संदर्भ में दिनांक 19.01.2005 को परिपत्र जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जल ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्य इस प्रकार कराये जावे कि वर्षा जल प्रवाह में न्यूनतम संभव से अधिक किसी भी प्रकार की रूकावट (Minimum possible interference) नही हो (परिशिष्ठ-2)।

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान के परिपत्र दिनांक 04.06.2007 द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण के संबन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि एनिकट की अधिकतम ऊंचाई नदी/नाले के निम्नतम तल से 2 मीटर से अधिक नही हो। इसके अतिरिक्त एनिकट निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग के संबन्धित अधीक्षण अभियन्ता से उक्त निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावे (परिशिष्ठ-3)।

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में जारी उक्त निर्देश एवं अन्य निर्देशों का संदर्भ लेते हुए दिनांक 26.07.2010 को पुनः निर्देश जारी किये कि पूर्व में निर्मित बांधो एवं तालाबों के जल ग्रहण क्षेत्र में भविष्य में किसी भी प्रकार के एनिकट/चैक डैम/वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि का निर्माण बिना राज्य सरकार की अनुमति के नही कराये जावे। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि प्रारम्भ नही हुए एनिकट का निर्माण प्रारम्भ नही किया जावे एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत भी एनिकट निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किये जावे (परिशिष्ठ-4)।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन 11153/11 के अन्तर्गत पारित निर्देशों में पूर्व में अब्दुल रहमान के प्रकरण में पारित आदेश की पालना किये जाने के निर्देश दिए एवं यह भी निर्देश दिए कि बांधों/जलाशयों के बहाव क्षेत्र (कैचमेन्ट एरिया) में पानी की आवक को अवरूद्व करने वाले निर्माण/अतिक्रमण की पहचान कर उनको हटाने/उनमें सुधार किये जाने की कार्यवाही की जावे। आदेश में बहाव क्षेत्र को स्पष्ट भी किया गया है, जिसके अनुसार " Where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc. from where water flows."

विभाग द्वारा दिनांक 30.11.2011 को जिला कलेक्टर, जयपुर को पत्र लिखते हुए, जिसकी प्रति सभी जिला कलेक्टर को जारी की गयी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों की पालना किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये एवं की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रथमतः 15 दिवस में एवं तत्पश्चात मासिक रूप से प्रस्तुत किये जाने के निर्देश जारी किये गये (परिशिष्ठ–5)।

उक्त पत्र की निरन्तरता में दिनांक 23.02.2012 एवं 15.06.2012 को पुनः समस्त जिला कलेक्टर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने एवं किस प्रकार कार्यवाही की जावे, के संबन्ध में निर्देश जारी किये गये (परिशिष्ठ–6)।

मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की अनुपालना के संबन्ध में कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया के संबन्ध में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 26.06.2012 को समस्त जिला कलेक्टर को पत्र लिखे गये है (परिशिष्ठ–7)।

मुख्य नोडल ऑफिसर एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान द्वारा दिनांक 11.07.2012 को मुख्य सचिव, राजस्थान की बैठक दिनांक 10.07.2012 में लिये गये निर्णय के अनुरूप 25 मुख्य जलाशयों की जानकारी दी गई है, जिनमें प्रथम चरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जानी है (परिशिष्ठ–8)।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे :–

- परिशिष्ठ–8 के अनुरूप प्रथम चरण में चिन्हित किये गये 25 मुख्य जलाशयों के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 26.06.2012 के अनुरूप अतिक्रमण के सर्वे की कार्यवाही कर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की किसी भी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित) में निर्मित किये गये स्ट्रक्चर्स की पहचान की जावे।

- बहाव क्षेत्र में पूर्व में निर्मित किसी भी एनिकट की अधिकतम ऊंचाई नदी/नाले के निम्नतम तल से 2 मीटर से अधिक होने की स्थिति में इसमें इस प्रकार सुधार किया जावे कि एनिकट की अधिकतम ऊंचाई नदी/नाले के निम्नतम तल से 2 मीटर से अधिक नही हो एवं शेष बचे स्ट्रक्चर का उपयोग भी सुनिश्चित हो सकें।

- बहाव क्षेत्र में आ रहे अन्य प्रकार के अतिक्रमण यथा– सडक, चारदीवारी, पक्का निर्माण आदि को पूर्णतः हटाये जाने की कार्यवाही की जावे।

- पूर्व में निर्मित स्ट्रक्चर में सुधार करने अथवा पूर्णतः हटाये जाने की स्थिति में यह भी सुनिश्चित किया जावे कि बहाव क्षेत्र के निम्नतम तल की स्थिति में परिवर्तन नही हो एवं बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री शेष नही रहें अर्थात पानी का बहाव अवरूद्व नही हो।

- भविष्य में एनिकट निर्माण बहाव क्षेत्र के निम्नतम तल से 2.0 मीटर से अधिक ऊँचाई के नही बनाये जावे। 2.0 मीटर से अधिक ऊंचाई के एनिकट निर्माण जल संसाधन विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही एवं इसी विभाग को कार्यकारी संस्था बनाते हुए ही किये जावे।

- बहाव क्षेत्र में विभाग की किसी भी योजना में सडक निर्माण इस प्रकार नही किया जावे कि पानी के बहाव में रूकावट उत्पन्न हो। सडक निर्माण आवश्यक होने की स्थिति में बहाव क्षेत्र में कलवर्ट निर्माण/पुल निर्माण का कार्य इस प्रकार किया जावे कि बहाव क्षेत्र में पानी के बहाव में रूकावट उत्पन्न ना हो।

- विभाग द्वारा बहाव क्षेत्र में कृषि के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ भू आवंटन/भू–संपरिवर्तन नही किया जावे एवं ना ही कोई आवासीय कॉलोनी विकसित की जावे।

- निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राजस्थान द्वारा दिनांक 19.01.05 को जारी निर्देश (परिशिष्ठ–2) के अनुसार जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों के कृषि एवं अकृषि भूमि में विभिन्न फसलों के उत्पादन वृद्वि हेतु भूमि एवं नमी संरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कियान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों में जल ग्रहण क्षेत्रों में भू–संरक्षण कार्यों का कियान्वयन इस प्रकार किया जावे कि वर्षा जल प्रवाह में न्यूनतम संभव से अधिक किसी भी प्रकार की रूकावट (Minimum possible interference) नही हो एवं सुरक्षित जल प्रवाह के लिए जल निकास पद्वति यानि वेस्टवियर का प्रावधान भी आवश्यक रूप से किया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा मासिक सूचना मुख्य नोडल अधिकारी सह मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान को प्रेषित करते हुए विभाग को भी प्रेषित की जावे।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, समस्त।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

परिशिष्ट- (1)

and if necessary rules to check corruption and serve the public in better way are required to be framed, the matter may be referred to the State of Rajasthan to make necessary rules in this regard under Section 15 of 1975 Act.

(ii) Till necessary Rules are framed under section 15 of 1975 Act, the Conductor/Driver Incentive Scheme 2004 (Green Card Scheme) shall remain inoperative and all the decisions/actions taken under the said scheme shall be treated as nonest.

(iii) There shall be no order as to costs.

RAJASTHAN HIGH COURT [JODHPUR]

PRESENT : Hon'ble Mr. Justice N.N. Mathur;
Hon'ble Mr. Justice K.K. Acharya

ABDUL RAHMAN

Versus

STATE OF RAJASTHAN & ORS.

D.B. Civil Writ Petition No. 1536/2003—Decided on 2.8.2004

Environment—Restoration of catchment area—Public Interest Litigation—Nadi land cannot be used for construction—State directed to consider recommendations of expert committee constituted by State under orders of Court dated 18.7.2003 and to chalk out plan for restoration of catchment areas to their original shape. (Para 16)

पर्यावरण—जलागम क्षेत्र का पुनःस्थापन—लोकहित वाद—नदी की भूमि, निर्माण में प्रयुक्त नहीं की जा सकती—दि. 18.7.2003 के न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत राज्य द्वारा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने तथा जलागम क्षेत्रों को उनकी मूल स्थिति में पुनः लाने का राज्य को निदेश किया गया। (पैरा 16)

INTERIM ORDER MADE ABSOLUTE AND WRIT PETITION DISPOSED OF WITH ABOVE DIRECTIONS

Case Law Referred :

1. AIR 1985 SC 652.

Mr. Anil Bhandari, for petitioner.
Mr. B.L. Tiwari, Additional Government Advocate.

BY THE COURT : (PER HON'BLE SHRI MATHUR, J.)

1. By way of instant 'Public Interest Litigation', petitioner has raised an issue of high public importance emphasizing on the need to protect the tanks/ponds for proper and healthy environment to enable the people to enjoy a quality life which is the essence of right of a citizen under Article 21 of the Constitution of India.

2. Referring to the provisions of Rajasthan Land Revenue Act 1956, it is submitted that no Nadi land can be used for any sort of construction.

3. The backdrop in which the petition has been filed needs to be noticed. There is a gair mumkin Nadi measuring 9 bighas 17 biswas in Khasra No. 253 at Village Marwar Balia and so also, there is a land measuring 29 bighas 1 biswa in Khasra No. 266 and this land is gair mumkin pasture

land. The land situated in Khasra No. 253 being a gair mumkin Nadi, cannot be used for construction of any sort of building. However, the third respondent viz; Mohd. Yusuf, Sarpanch, Gram Panchayat, Marwar Balia has started construction of a school building in the land situated in Khasra No. 253. It is further stated that some persons made encroachments in the said gair mumkin Nadi land of Khasra No. 253 and those persons served with notice for removing encroachments and thereafter all the encroachments were removed. A direction is sought restraining the respondents to construct the school building in Khasra No. 253, which is a Nadi land.

4. In reply to the writ petition, it has been admitted that in the revenue record, Khasra No. 253 is recorded as gair mumkin Nadi land and Khasra No. 266 as gochar land. However, it is denied that there is any Nadi land over the disputed site. There is 29 bighas and one biswa of land as straight land. There exists various buildings viz; "Aanganbadi", Sub Health Centre, G.L.R. Building etc. It is further stated that large number of residential houses have been built therein. Thus, a proposal has been sent for conversion of the land as "Abadi" land. So far as the construction of the school is concerned, it is submitted that the same is in the larger public interest. In the same area, number of Government buildings have already been constructed.

5. It appears that there has been indiscriminate utilization of the catchment areas for construction and mining purposes which has prevented lakes, reservoirs, rivers, ponds etc. from receiving water even during the rainy season. This Court by order dated 18.7.2003 directed the State Government to undertake a general survey to identify the catchment areas which have been used for construction and mining purposes. It was further directed that survey shall also be undertaken for the purpose of studying the effect of utilization of catechment areas for construction and mining purposes or for other purposes. Further, suggestion was sought for restoring the catchment areas to their original shape and use.

6. Pursuant to the directions of this Court dated 18.7.2003, the State Government constituted an Expert Committee with the following compositions:

1. Shri Y.C. Agrawal, Director (MIS), ID&R, Irrigation Department, Sinchai Bhawan, JLN Marg, Jaipur	Convener
2. Sh. S.B.L. Mathur, Jt. Director, Jodhpur Range, Watershed Development & Soil-Conservation Department, Jodhpur	Member
3. Sh. S.S. Dhindsa, Chief Chemist, PHED, Jaipur	Member
4. Sh. Rakesh Hirat, Superintending Mining Engineer, Udaipur	Member

7. The said Expert Committee has conducted the survey and submitted its report to this Court. It appears that the Committee inspected various lakes in Udaipur, Rajsamand and Ajmer. It also met the Government Officials and Non-government persons related to the subject. The Committee also inspected the mining areas to collect the relevant information. General Survey Reports were sought from the District Collectors and Chairman, District Expert Committee from all districts. District wise abstracts of obstructions in catchment areas of reservoirs/ponds/lakes etc. and obstructions to be removed as referred in General Survey reports received from the District Collectors and Chairman District Expert Committee were carefully considered. General Survey of the obstructions was undertaken by the Remote Sensing Technology.

8. We are happy to note that the State Government spared 22.70 lacs for the purpose of survey to State Remote Sensing Application Centre,

Jodhpur. The Committee found that at some places, proper drainage crossing in embankments, residential colonies and other construction activities have not been provided to allow free and uninterrupted water in drainage channels. This has resulted in reduction of catchment areas of lakes, reservoirs, rivers, ponds etc. and filling of water bodies in the State. Due to soil conservation works, watershed works & water harvesting structures the run off from the catchment areas has been reduced. Untreated domestic waste, industrial waste and other wastes are falling in water storage bodies, causing the deterioration of quality of water. This has caused biological growth of various types. It is further found that wherever the excavation in mining leases goes below natural ground level, the water from the adjoining area gets entry into the mine and fill it, thus reducing quantity of water reaching the water bodies like lakes, reservoir etc. It is further observed that wherever there are deep mines, they are de-watered to do mining operations. This lowers down the ground water table and creates scarcity of water for drinking and agriculture. The dumping of marble slurry and otherwaste into drainage channels has caused reduction in their water carrying capacity and thus reduced quantity of water reaching the water bodies.

9. The problem of environmental poliution has been recognized as a worldwide disaster. Development without regard to the ecological equilibrium has led to an environment crisis. Urbanization, modernization and the race for technological and industrial development has caused the ecological imbalance. The Constitution (Forty Second Amendment) Act, 1976 has made it a fundamental duty of the State and citizens to protect and improve the environment.

10. Article 48A of the Constitution provides that –

"The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country."

11. Article 51A of the Constitution provides that –

"To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild-life and to have compassion for living creatures."

12. Thus, the Constitutional provisions, on the one hand give directions to the State for the protection and on the other, cast a duty on every citizen to help the preservation of natural environment.

13. Article 21 of the Constitution of India guarantees every citizen of India the right to life and personal liberty. The Apex Court has elevated the environmental concerns to the level of a fundamental right as falling under Article 21 of the Constitution.

14. In Rural Litigation and Entitlement Kendra Vs. State of U.P. reported in AIR 1985 SC 652, the Supreme Court made a detailed order regarding the working of the limestone quarries in the Dehradun Mussorie belt. There are series of decisions wherein the Supreme Court has affirmed that every citizen has fundamental right to take enjoyment of quality of life and living as contemplated by Article 21 of the Constitution of India. Thus, it is felt that there is a need to adopt the regulatory measures so as to maintain a proper balance between the conservation of natural resources and the protection of the ecological environment on one hand, the need for development and of the industrial growth of the country on the other.

15. The Committee has made suggestions for restoring the catchment areas to their original shape and use:

"(3) Suggestions for restoring the catchment areas to their original shape and use;

Looking to the site visit by the State Level Expert Committee in September 2003 and General Survey Reports received from the District Collectors and Chairmen, District Expert Committee, following suggestions are made:

1. All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Govt. land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.

2. Demarcation of catchment areas should be done by construction pillars at suitable spacing depending upon size of the catechment area with the help of GT sheet of scale 1:25000 or 1:50000 and/or "Water Shed Atlas of Rajasthan" prepared by the State Remote Sensing Application Centre, Jodhpur.

3. Demarcation of drainage channels –

(i) In unhabited areas this can be done by installing pillars at suitable spacing or by constructing side wall depending upon size of drainage channel and its importance.

(ii) In urban and rural areas, the demarcation of drainage channels must essentially be done by constructing side walls of appropriate height and thickness.

4. In the government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the government.

5. The drainage channels in the catchment areas should be got inspected by engineering professionals and Patwaris. Wherever there are obstructions in nalla, it should be suitably removed by constructing culverts, deepening and widening of nallas etc.

6. Wherever there are any construction activities, which may interfere with the flow of water in drainage channels, no objection certificate must be obtained from the irrigation department.

7. The Anicuts more than 2m height above deepest nalla bed should be identified. The height more than 2m should be dismantled.

8. Wherever residential colonies have been constructed obstructing flow in drainage channels, the obstruction must be removed and nallas may be deepened/constructed.

9. On the periphery of lakes, ponds, water bodies in urban and rural areas, a pucca drain should be constructed on periphery of the water body to prevent entry of domestic, industrial and other waste in the water body.

10. For soil conservation work, suitable guidelines must be issued by the "Watershed & Soil Conservation Department" so that these works make minimum possible interference with the flow of water.

11. The district administration should specify places for dumping various types of waste material. If any body is found to dump the waste material in other places, particularly drainage channels, then suitable punishment should be provided in the law.

12. The government should use television, radio and newspapers to create awareness in this matter.

13. Possibility should be explored to use marble slurry as construction material, for filling depressions etc. as has been done for disposal of fly ash from Thermal Power Houses.

14. The water quality of water bodies should regularly be monitored.

15. Wherever over-burden or waste materials generated from mines and processing units, have been dumped obstructing flow of water in drainage channels; diversion drains and check walls must be constructed. For that purpose, special condition should be incorporated in the lease/license agreement."

16. Having given thoughtful consideration to the issue involved and the suggestions made, we direct the State Government to consider the recommendations of the Committee referred-to above and chalk out a plan to take the effective steps for restoring the catchment areas to their original shape. It is made clear that this order will not prevent the State Authorities from drawing-up or taking further steps more effectively to fulfill the objects of the directions issued by this Court. Three months' time is granted for giving positive shape to the suggestions. The interim order dated 9.4.2003 granted by this Court is made absolute.

RAJASTHAN HIGH COURT [JAIPUR BENCH]

PRESENT : Hon'ble Mr. Justice Shiv Kumar Sharma

GANPAT LAL MATHUR & ORS.

Versus

MREC

S.B. Civil Writ Petition No. 5507/2000—Decided on 2.8.2004

Service Law—Selection Grade—Withdrawal of—Natural Justice—Selection grade earlier granted to petitioners withdrawn without giving opportunity of hearing to petitioners—Orders of recovery quashed.

(Paras 5-7)

सेवा विधि—चयन वेतनमान—उसका समय हरण—नैसर्गिक न्याय—याचियों को पूर्व में स्वीकृत चयनमान को उन्हें सुनवाई का बिना अवसर दिये बिना प्रत्याहृत किया गया—वसूली के आदेश अभिखण्डित किए गए। **(पैरा 5-7)**

WRIT PETITION ALLOWED—IMPUGNED ORDER QUASHED

Mr. Manish Bhandari, for the petitioners.
Mrs. Naina Sarraf, for the respondent.

BY THE COURT :

1. Instant writ petition preferred by five petitioners raises a common question of law, as to whether benefit of selection grade once granted can be withdrawan unilaterally?

2. As per the undisputed facts all the petitioners after serving the respondent institute stood retired. The petitioners while they were in service had been granted selection grade in view of the Circular dated January 25, 1992 of the State of Rajasthan. After retirement of the petitioners the respondent decided to withdraw the benefit of selection scale so granted to the petitioners and orders of recovery from the retiral benefits were issued. The said orders have been impugned by the petitioners in this writ petition.

3. The respondent in its return raised preliminary objection in regard to maintainability of the petition and averred that since the impugned orders

परिशिष्ट - 2

राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.17 (9-B) /निजभूस./तक/2003-04/ 8882-8938 दिनांक - 19/01/05 38

परिपत्र

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (PIL) संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के सम्बंध में दिनांक 22.12.2004 को श्रीमान प्रमुख राजस्व सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 10 पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

Point No.10 - For Soil conservation Work Suitable Guidelines must be issued by the "Watershed & Soil Conservation Department" so that these work make minimum possible interference with the flow of water.

उपरोक्त निर्णयानुसार, आपके जिले में केन्द्रीय व अन्य वित्तीय संस्थानों के सौजन्य से संचालित विभिन्न जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों के कृषि एवं अकृषि भूमि में विभिन्न फसलों के उत्पादन वृद्धि हेतु भूमि एवं नमी संरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इस संदर्भ में जल ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान वर्षा जल प्रवाह में न्यूनतम संभव से अधिक किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होने एवं सुरक्षित जल प्रवाह के लिए जल निकास पद्धति यानि वेस्टवियर का प्रावधान आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। इसके उल्लंघन पर आप स्वयं अवमानना के दोषी होंगे।

प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज

क्रमांक प.17 (9-B) /जग्रविभूस./तक/ 8882-8938 दिनांक - 19/01/05

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प- 4 राज/7/03 जयपुर दिनांक 27.12.04 के क्रम में।
4. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव (भू-संसाधन), ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद---------------।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, ज.ग्र.वि.एवं भू. संरक्षण विभाग-----------।
8. AD (NWDP), JD (RD)/Plan, JD (Adm)

अतिरिक्त निदेशक (मु.)

14

परिशिष्ट - 3

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज.जयपुर।

क्रमांक:टी/एफ–216/एनीकट/पार्ट–4/टीएएसएस/ 655 दिनांक: 4-6-2007

परिपत्र

जल संरक्षण की महत्ता को देखते हुये स्थानीय रुप से उपयोगी एनीकटों, चैक डेम, सब सरफेस बेरियर, वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आदि के निर्माण कार्यो को वांछित प्राथमिकता देते हुये कई स्वीकृतियाँ इन कार्यो हेतु विभिन्न विभागों/एजैन्सीज द्वारा दी जा रही है। कई स्वयं सेवी संस्थायें भी अपने स्तर से ऐसे निर्माण कार्य कर रही हैं। इन कार्यो का स्थल चयन, डिजाईन व गुणवत्ता उपयुक्त हो व बनने के बाद पर्याप्त वर्षो तक ये अपेक्षित लाभ दे सके व न्यूनतम रख रखाव लागत पर सुरक्षित रहें यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अतः वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण के सम्बन्ध में समस्त कार्यकारी विभाग/एजैन्सियों को निर्देशित किया जाता है कि वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना की जावे।

1. केवल उन्हीं वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स विशेषतः एनीकट इत्यादि का निर्माण कार्य हाथ में लिया जावे जो कि किसी अन्य पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित सिंचाई परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्र में नहीं आते हों।
2. एनीकट निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि इसके निर्माण में व इसके डूब क्षेत्र में कोई निजी भूमि/सम्पत्ति नहीं आवे जिसके लिये बाद में मुआवजे की मांग उठने की सम्भावना हो।
3. एनीकटों का निर्माण कार्य किसी भी अन्य एजैन्सी द्वारा सम्पादित कराये जाने से पूर्व सम्बन्धित एजैन्सी जल संसाधन विभाग के सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से उपरोक्त निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करावें।
4. एनीकट की अधिकतम ऊंचाई नदी/नाले के निम्नतम तल से 2.00 मीटर से अधिक नहीं होवे।

sd/-

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

25/C

परिशिष्ट-4

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमॉक एफ3(मिस)एएसआईसेल/2010/1304-12 दिनॉक 22-07-2010 26

आदेश

बांधों एवं जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र मे एनीकट/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर/ चैक डैम कार्यो आदि के निर्माण को नियंत्रित करने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा समय समय पर निम्न लिखित आदेश प्रसारित कर दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

(1)क्रमॉक प3(16)एएसआईसेल/94/999 दिनॉक 14.12.1994
(2)क्रमॉक एफ3(8)एएसआईसेल/96/413 दिनॉक 14.06.1999
(3)क्रमॉक टी/एफ-353/रिव्यू मीटिंग/आईएम/मुअजसं/4076-77 दिनॉक 7.8.2002
(4) क्रमॉक टी/एफ-216पार्ट-4/टीएएसएस/655-656 दिनॉक 4-6-2007

पिछले कुछ वर्षो में राज्य मे कम वर्षा, बांधों में पानी की आवक अति अधिक कमी के कारण राज्य में गम्भीर पेयजल संकट पैदा हो गया है। बांधों एवं तालाबों में पानी नहीं आने के कारण भूजल स्तर भी तेजी से नीचे गिरा है जिससे पेयजल की स्थिति और अधिक गम्भीर हो गई है।

इन परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए जनहित में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूर्व मे निर्मित बांधों एवं तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र में भविष्य मे किसी भी प्रकार से एनीकट / चैक डैम / वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रेक्चर आदि का निर्माण बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के नहीं कराया जावे।

इस संबंध मे यदि पूर्व मे किसी भी योजना मे कोई कार्य स्वीकृत हुए है और अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए है तो उन्हें प्रारम्भ नहीं किया जावे। महानरेगा के अन्तर्गत भी एनीकट के निर्माण कार्यो की स्वीकृति जल संसाधन विभाग से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जा सकेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होंगे।

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई वृत, उदयपुर (राज.)
क्रमांक 1495 दिनांक 5-8-10

sd/-
(राम लुभाया)
प्रमुख शासन सचिव
जल संसाधन विभाग

क्रमांक एफ.3(मिस)एएसआईसेल/2010/1304-12 दिनॉक 22.07.2010 26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव मा0 जल संसाधन मंत्री राजस्थान जयपुर
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि विभाग राज जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव वन विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/ शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग राज जयपुर
5. समस्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग उदयपुर
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान

OFFICE OF THE ADD. C.E., W.R., ZONE-UDAIPUR

प्रमुख शासन सचिव

To:01412227658 NOV-17-2010 15:26 From:

परिशिष्ट- (5)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 4( )विविध/पीसी/पंरा/11/2142 जयपुर, दिनांक : 30.11.2011

जिला कलक्टर,
जयपुर।

विषयः—राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन 11153/11 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23/8/2011 एवं 8/9/2011 के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः—अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (DBSWP No 1536/03)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर स्थित रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र (Catchment area) में हुए अतिक्रमण एवं निर्माण को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है कि ऐसे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाये जो रामगढ़ बांध में पानी की आवक को अवरूद्ध करता हो एवं साथ ही बांध के बहाव क्षेत्र में हुए निर्माण/अतिक्रमण को हटाने अथवा उनमें सुधार करने के निर्देश भी दिए हैं जिससे कि पानी के आवक में किसी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न हो जैसाकि अब्दुल रहमान के प्रकरण में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत सुझाव के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित है। दिनांक 23/8/2011 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाले चार तहसीलों यथा जमवारामगढ़, आमेर, शाहपुरा तथा विराटनगर का उल्लेख करते हुए अब्दुल रहमान के प्रकरण में दिए गए निर्देशों का संदर्भ देते हुए उक्त निर्देशों की पालना नहीं किए जाने का उल्लेख किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में अब्दुल रहमान के प्रकरण में दिए गए निर्देशों की पालना में संबंधित तथ्यात्मक स्थिति के आकंलन के लिए दो सदस्यों की मॉनिटरींग कमेटी का भी गठन किया गया है। उक्त मॉनिटरींग कमेटी द्वारा न केवल तथ्यात्मक स्थिति का आकंलन किया गया है बल्कि जल बहाव क्षेत्र की 15/8/1947 के अनुसार स्थिति को बहाल करने के संबंध में सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत पारित आदेश प्रथमतः रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र के संबंध में है तथा इसके पश्चात् इसकी क्रियान्विति जयपुर जिले के विभिन्न जल संसाधनों से संबंधित होगा एवं तत्पश्चात् सम्पूर्ण राज्य में इसे लागू किया जाना अनिवार्य होगा।

(क) उपरोक्त परिपेक्ष्य में जिला कलक्टर, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 23/8/2011 एवं 8/9/2011 के अन्तर्गत रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाले चार तहसीलों जमवारामगढ़, आमेर, शाहपुरा एवं विराटनगर के ग्रामीण क्षेत्रों का गहन सर्वेक्षण करवाकर यह सुनिश्चित कर लें कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/नरेगा/भू–संरक्षण एवं जलग्रहण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों से रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र (Catchment area) में पानी के स्वाभाविक आवक मार्ग में अवरोध नहीं हो एवं यदि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो गया हो तो अब्दुल रहमान के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर गठित विशेषज्ञ कमेटी द्वारा प्रस्तुत सुझाव के अनुसार उसे या तो हटाया जाये अथवा पानी की आवक को पूर्ववत् बहाल करने हेतु कारगर उपाय किये जायें। इस संबंध में ग्रामीण विकास योजना के अलावा पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये टीएफसी, एसएफसी अथवा अनटाईड फण्ड की राशि का उपयोग नियमानुसार किया जा सकता है।

(ख) उपरोक्त वर्णित आदेश तथा अब्दुल रहमान के प्रकरण में गठित विशेषज्ञ कमेटी के सुझाव तथा माननीय उच्च न्यायालय का प्रासंगिक आदेश दिनांक 23/8/11 एवं 8/9/11 तथा मोनीटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की वेबसाईट www.rajpanchayat.gov.in पर सहज अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दिये गए है तथा इसी क्रम में अब निम्न आदेश दिए जाते हैं:–

1. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरींग कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करें तथा तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/9/2011 में अब्दुल रहमान के प्रकरण में दिए गए निर्णय के पैरा संख्या 15 का उल्लेख किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के सुझावों का भी वर्णन किया गया है, जिसका अध्ययन कर तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ।
3. जैसाकि आपको विदित है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा भी विभिन्न योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एनीकट का निर्माण कराया जाता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में 2 मीटर से ऊंचें एनीकट का निर्माण नहीं किया जायें। यह उचित होगा कि इस संबंध में भी जल संसाधन विभाग से आवश्यक परामर्श कर लिया जाये। 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के एनीकट जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्मित किये जाये। अगर 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के एनीकट का निर्माण बिना जल संसाधन विभाग की अनापत्ति के कर लिया गया हो तो ऐसे एनीकट को चिन्हित कर, Waste Weir के माध्यम से अथवा अन्य किसी कारगर उपाय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाये कि एनीकट की प्रभावी ऊंचाई 2 मीटर के बराबर ही हो अर्थात् 2 मीटर की ऊंचाई के एनीकट के बराबर ही पानी का भराव रहे एवं यह किसी भी नदी/नाले/तालाब/अन्य सार्वजनिक जलाशय के भराव क्षेत्र में पानी के आवक मार्ग को अवरूद्ध नहीं करें।

4. अब्दुल रहमान के प्रकरण में दिए गए निर्देशों में उल्लिखित विशेषज्ञ कमेटी द्वारा दिये गए सुझावों के बिन्दु सं0 9 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित तालाब इत्यादि में पानी की आवक के मार्ग में पक्का नाला का निर्माण कराया जावे जिससे कि घरेलू तथा औद्योगिक अवशिष्ट का मिश्रण न हो एवं प्रदूषण रहित पानी का आवक इन जलाशय में हो।
5. नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में ग्रामीण सड़कों के कार्यों के साथ–साथ जल संधारण का कार्य भी अनुमत है। उचित होगा कि 2 मीटर तक की ऊंचाई के एनीकट के संबंध में भी जल संसाधन विभाग से परामर्श कर लिया जाये। 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले एनीकट के लिए जल संसाधन विभाग को ही कार्यकारी एजेंसी बनाया जाये जिससे कि कार्य स्वीकृत करते समय माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरा ध्यान रखा जा सके।
6. इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जा रही ग्रेवल सड़क इत्यादि को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके निर्माण से किसी भी नदी, नाले अथवा तालाब के जल बहाव क्षेत्र में अवरोध पैदा न हो एवं ऐसी स्थिति होने की संभावना हो तो जल संसाधन विभाग से परामर्श कर पानी के बहाव को यथावत रखने हेतु कारगर कदम उठाये जाये।
7. भू–संरक्षण एवं जलग्रहण विभाग द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में जलग्रहण (Water shed) के कार्य कराये जाते हैं, उचित होगा कि उनके द्वारा भी वाटरशैड कार्यों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य इस प्रकार से स्वीकृत किए जायें कि किसी भी नदी, नाले अथवा अन्य जल संरक्षण जलाशय में पानी की आवक अवरूद्ध न हो। एनीकट का निर्माण भी उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 3,4 एवं 5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही स्वीकृत एवं निर्मित किए जाए।
8. प्रत्येक गांव में स्थित शामलात भूमि का चिन्हितिकरण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें किसी प्रकार का अवैध निर्माण/अतिक्रमण न हो अथवा कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं हो जो नदी/नाले/भराव क्षेत्र के पानी के आवक मार्ग को अवरूद्ध करते हों। अवैध निर्माण/अतिक्रमण होने की स्थिति में उन्हें समयबद्ध तरीके से एवं विधिवत रूप से हटाया जाये जैसाकि बिन्दु संख्या (क) में वर्णित है एवं तत्पश्चात् ऐसी भूमि को नरेगा अथवा अन्य ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत नियमानुसार विकसित किया जाये। नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास के दिशा निर्देश दिनांक 26/3/2011 को जारी परिपत्र एवं दिनांक 29/9/2011 को जारी पुस्तिका "चारागाह भूमि के विकास हेतु कार्यकारी निर्देश" में दिये गए हैं, जिनकी पालना भी सुनिश्चित करावें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें एवं प्रत्येक विकास खण्ड के संबंध में आप द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रथमतः 15 दिवस एवं तत्पश्चात् मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(सी0एस0 राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन।
2- प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/कृषि।
3- शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त नरेगा।
4- निदेशक, भू–संरक्षण एवं जलग्रहण विभाग।
5- समस्त जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्/विकास अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप बिन्दुवार वांछित कार्यवाही आप अपने स्तर पर सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें।

उप शासन सचिव(विधि)

परिशिष्ट (6)

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 4( )विविध/पीसी/पंरा/11/406 जयपुर, दिनांक : 23-2-12

जिला कलक्टर,

समस्त, (राजस्थान) ।

विषयः—राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन 11153/11 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23/8/2011 एवं 8/9/2011 के कियान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः—विभागीय परिपत्र क0 1243 दिनांक 30.11.2011 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि उक्त पत्र के द्वारा आपको राज्य के बांधों एवं जलाशयों के बहाव क्षेत्र (Catchment area) में पानी की आवक को अवरूद्ध करने वाले निर्माण/अतिक्रमण को हटाने अथवा उनमें सुधार करने के निर्देश दिए जाकर आवश्यक कार्यवाही कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गए थे । किन्तु आप द्वारा अभी तक किसी प्रकार का प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि खेद का विषय है ।

अब इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन 11153/11 SUO MOTO V/s State of Rajasthan में पारित आदेश 31.1.2012 की अनुपालना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डीबी सिविल रिट पिटीशन सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के क्रम में राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही कार्यवाही की जानी है । अतः कृपया आप निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें:—

1. नदियों के मुख्य बहाव क्षेत्र (Main lines) व ड्रेनेज का राजस्व रिकार्ड के अनुसार demarcation राजस्व अधिकारियों से करवाया जावे तत्पश्चात मुख्य नदी बहाव क्षेत्र में पत्थरगढ़ी जल संसाधन विभाग द्वारा एवं शेष ड्रेन पर पत्थरगढी भू—संरक्षण व वाटरशेड विभाग से करवाई जावे। इस कार्य हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जावे, जिसमें राजस्व, जल संसाधन एवं भू—संरक्षण व वाटरशेड विभाग के ज़िला स्तर के अधिकारी सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद को सदस्य

सचिव बनाया जावे। यह समिति महत्वपूर्ण वाटर चेनल के बहाव क्षेत्र के चिन्हीकरण का निर्णय लेगी ।

2. उपर्युक्तानुसार चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि उक्त समिति यह महसूस करती है कि मेजर चेनल्स में पिल्लर की आवश्यकता है तो पिल्लर लगवाने की कार्यवाही हेतु भी उक्त समिति आवश्यक निर्देश देगी । पिल्लर लगवाने का कार्य ग्रामीण विकास, पंचायती राज अथवा वाटरशेड विभाग की किसी भी योजना के तहत करवाया जा सकेगा, जिसका निर्णय संबंधित ज़िला कलेक्टर स्वयं लेंगे ।

3. सरकारी कार्यक्रमों के तहत जो ऐनीकट ओर चेक डेम, भू–जल रिचार्ज के उद्देश्य से दो मीटर की उचाई तक के बनाये गये हैं, यदि उनकी वजह से जल प्रवाह में कोई बाधा है तो संबंधित ऐजेन्सी से उसका निरीक्षण करवा लिया जावे ।

4. प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 30.11.11 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि पानी की आवक को यदि कोई निर्माण अवरूद्ध करता हो तो निर्माण/अतिक्रमण को हटाने अथवा उनमें सुधार भी किया जावे, जिससे कि पानी के आवक में किसी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न हो जैसाकि अब्दुल रहमान के प्रकरण में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत सुझाव के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित है। अतः तद्नुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करावें ।

5. इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित किया जावे कि महत्वपूर्ण बड़े तालाब एवं अन्य महत्वपूर्ण Water bodies में घरेलू एवं औद्योगिक दूषित कचरा नही जाए ।

आपसे अपेक्षा है कि आप उपर्युक्तानुसार विभागीय पत्र दिनांक 30.11.2011 का समुचित अध्ययन कर इस परिप्रेक्ष्य में बिन्दु सं0 1 के अनुसार समिति का गठन कर, आपके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की कार्य–योजना (Plan of Action) बनाकर प्रथमतः 15 दिवस की समय सीमा में रिपोर्ट आवश्यक रुप से भिजवायें एवं तत्पश्चात् मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(सी0एस0 राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1.अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन।
2.प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/कृषि।
3.शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त नरेगा।
4.निदेशक, भू–संरक्षण एवं जलग्रहण विभाग।
5.समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (राजस्थान) ।

उप शासन सचिव(विधि)

IMPORTANT परिशिष्ट (6)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक एफ 4( )विविध/पीसी/पंरा/11/1252 जयपुर, दिनांक :15.06.2012

जिला कलक्टर,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः—राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन 11153/11 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23/8/2011, दिनांक 8/9/2011 एवं दिनांक 29.5.2012 के कियान्वयन के संबंध में।
प्रसंगः—विभागीय परिपत्र क0 2142 दिनांक 30.11.2011 एवं 406 दि0 23.2.12।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि उक्त पत्रों के द्वारा आपको राज्य के बांधों एवं जलाशयों के बहाव क्षेत्र (Catchment area) में पानी की आवक को अवरूद्ध करने वाले निर्माण/अतिक्रमण को हटाने अथवा उनमें सुधार करने के निर्देश दिए जाकर आवश्यक कार्यवाही कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गए थे । किन्तु आपमें से अधिकांश के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि खेद का विषय है ।

अब इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन 11153/11 SUO MOTO V/s State of Rajasthan में पारित आदेश 29.5.2012 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही कार्रवाई की जानी अपेक्षित है । अतः कृपया आप निम्नानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करावें:—

1. नदियों, तालाबों, नालों एवं अन्य Water bodies के बहाव क्षेत्र (Catchment area) में हुए अतिक्रमणों (Encroachments) जोकि पूर्व में आप द्वारा चिह्नित (identified) किये जा चुके होंगे, को ज़िला स्तर पर संयुक्त दल गठित कर हटवाये जाने का कार्य आरम्भ किया जावे।

2. प्रासंगिक पत्र दिनांक 30.11.11 के बिन्दु सं0 (ख)5 में आपको निर्देशित किया गया था कि :— *"नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में ग्रामीण सड़कों के कार्यों के साथ—साथ जल संधारण का कार्य भी अनुमत है। उचित होगा कि 2 मीटर तक की ऊंचाई के एनीकट के संबंध में भी जल संसाधन विभाग से परामर्श कर लिया जाये। 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले एनीकट के लिए जल संसाधन विभाग को ही कार्यकारी एजेंसी बनाया जाये जिससे कि कार्य स्वीकृत करते समय माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरा ध्यान रखा जा सके।"* अब यह निर्देश 2 मीटर से

2-2.5

कम की ऊंचाई के एनीकट के संबंध में भी लागू किये जाते हैं, अतः तदनुसार पालना सुनिश्चित की जावे ।

3. माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह भी निर्देशित किया जाता है कि अब भविष्य में नये एनीकट्स के निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जावे जब तक कि ज़िले में बारिश की आवक (rainfall) का एक उचित सर्वेक्षण द्वारा आकलन करने के पश्चात निर्माण किये जाने वाले एनीकट के लिए पानी की प्रचुरता सुनिश्चित नहीं हो जावे ।

4. प्रायः यह पाया गया है कि NREGA के तहत बहाव क्षेत्र (Catchment area) में भी निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं तथा कई स्थानों पर तो नदी को दो हिस्सों में बांट कर सड़क तक का निर्माण करवाया गया है । ऐसे कार्य अविलम्ब रोके जावें तथा बहाव क्षेत्र (Catchment area) में किये जाने वाले किसी भी निर्माण कार्य के लिए कार्य आरम्भ करने से पूर्व जल संसाधन एवं राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे।

5. आप अपने ज़िले की स्थानीय निकायों को निर्देशित कर यह भी सुनिश्चित करावें कि बहाव क्षेत्र (Catchment area) में कृषि के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ भू–संपरिवर्तन के प्रकरणों में उनके द्वारा किसी भी परिस्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जारी नहीं किया जावे तथा बहाव क्षेत्र (Catchment area) में किसी भी परिस्थिति में आवासीय कॉलोनी विकसित करने की अनुमति नहीं दी जावे ।

आपसे अपेक्षा है कि आप उपर्युक्तानुसार विभागीय पत्र दिनांक 30.11.2011 एवं दिनांक 23.2.12 का भी उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः समुचित अध्ययन कर समग्र रूप से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करावें । **आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।**

(सी0एस0 राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–
1.उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
2.अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन ।
3.प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/कृषि/जल संसाधन।
4.शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त नरेगा।
5.निदेशक, भू–संरक्षण एवं जलग्रहण विभाग।
6.समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (राजस्थान) ।

उप शासन सचिव(विधि)

परिशिष्ट (7) 245

D. No. 6502
Date 27.6.12

Government of Rajasthan
Water Resources Department

No. CEWR/SE(W)/11153/2011/Ramgarh/ 1908-1940 Dated: 26-06-2012

The District Collector 6433 27/6

Sub.: Implementation of decision of Hon'ble High Court, Rajasthan Jaipur dated 29.5.2012 in SB Civil Writ Petition No. 11153/2011 Suo Moto vs. State of Rajasthan regarding identification and removal of encroachment in the catchment of water bodies .

Hon'ble High Court, Rajasthan has pronounced judgement on 29.5.2012 in the SB Civil Writ Petition No. 11153/2011 and directed the State Government for identification and removal of encroachment in the catchment area of water bodies. Copy of the judgement is available at the website: www.hcraj.nic.in

The catchment area has been defined by the Court as *"Where ever the word catchment has been mentioned, presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc. from where water flows"*

A meeting was held under the chairmanship of Chief Secretary, Rajasthan on 12.06.2012 to discuss future course of action to implement the Hon'ble High Court decision. As per the instructions given in the meeting you are requested to take following actions:-

1. To carry out survey of encroachments either manually or through remote sensing /google map.
2. Identification & demarcation of encroachment area during survey and thereafter action be taken for removal of encroachment.
3. Restrain allotment of land falling in the catchment area.
4. Action should be taken for cancellation of allotment made in violation of Section 16 of Tenancy Act 1955.

5. Measures should be taken to demarcate catchment area of water bodies so as to stop encroachments thereon. Plantation under NAREGA may be one of the methods to indicate boundaries.

6. Development of forest in the vicinity of the catchment areas of water reservoirs.

7. To ensure that no construction including road etc is permitted in catchment area and water bodies. Also conversion of land in catchment areas will not be allowed.

8. To maintain the position of land belonging to water bodies as was obtaining in the year 1955 with the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

It is requested that you will take effective action to carry out the various tasks for compliance of the order of Hon'ble High Court. A joint team of District level officers of the concerned departments will work under the directions and guidance of Collector to implement the decision. A monthly progress report will be submitted to Chief Engineer, Water Resources Department, who has been designated as Chief Nodal Officer for this case. As per direction of the Court, monthly compliance report is to be submitted to the Court in the first week of every month. Therefore, report from District Collector should reach the Chief Nodal Officer by 25th of every month

(O. P. Saini)
Pr. Secretary to Government

No:- CEWR/SE(W)/11153/2011/Ramgarh/1911-53 Dated:- 26-06-2012

Copy to the following for information & necessary action:

1. Addl. Chief Secretary, Forest & Environment
2. Addl. Chief Secretary, PR & RD
3. Pr Secretary, UDH & LSG
4. Pr. Secretary, Industries
5. Pr. Secretary, Revenue
6. Pr. Secretary, Water Resources
7. Pr. Secretary, PWD
8. Pr. Secretary, Law
9. Secretary, Mines
10. Sh. R P Singh, Addl. Advocate General
11. Sh. Virendra Dangi, Advocate, Member of Monitoring Committee
12. Sh. Ashok Bhargava, Advocate, Member of Monitoring Committee
13. Chief Engineer, Water Resources

26/6/12
Chief Engineer, Water Resources

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, WATER RESOURCES DEPARTMENT,
RAJASTHAN, JAIPUR

No. CEWR/SE(W)/11153/2011/Ramgarh/2187-93 Dated: 11/07/12

1. Addl. Chief Secretary, Forest & Environment .
2. Addl. Chief Secretary ,PR & RD.
3. Principal Secretary, UDH & LSG .
4. Principal Secretary, Industries .
5. Principal Secretary, Revenue .
6. Principal Secretary, PWD.
7. Secretary, Mines.

D. No. 7168 ACS/RD & PR/2011
Date 13-7-12

क्रमांक शा.स./पं.राज/ 7164
दिनांक 13/7/12

Sub.: Regarding the list of 25 Major/Important Water Bodies to be taken up in the First Phase for compliance of Rajasthan High Court decision in the SB Civil Writ Petition No. 11153/2011 Suo Moto vs. State of Rajasthan & others.

Sir,

Kindly find enclosed here with list of 25 Major/Important Water Bodies to be taken up in the First Phase as discussed in the meeting held on 10.07.2012 under the chairmanship of Chief Secretary, GoR, for compliance of Rajasthan High Court decision in the SB Civil Writ Petition No. 11153/2011 Suo Moto vs. State of Rajasthan & others.

You are also requested to kindly send Initial Action Plan immediately so as to submit the compliance report to Hon'ble High Court.

Encloses :- As above

Yours faithfully,

11/7/12

Chief Nodal Officer &
Chief Engineer,
Water Resources Department
Rajasthan, Jaipur.

List of 25 Major/ Important Water Bodies to be taken up in the First Phase .

S.No.	Name of Project	District
1	Ana Sagar	Ajmer
2	Mahi Project	Banswara
3	Sikari	Bharatpur
4	Meja	Bhilwara
5	Soor Sagar	Bikaner
6	J.S.Dam	Bundi
7	Gudha	Bundi
8	RPS Dam	Chittorgarh
9	Ghosunda	Chittorgarh
10	Morel	Dausa
11	Parbati	Dholpur
12	Som Kamla amba	Dungarpur
13	Chapperwada	Jaipur
14	Ramgarh	Jaipur
15	Kalakh	Jaipur
16	Harish Chandra Sagar	Jhalawar
17	Kota Barrage	Kota
18	Jawai	Pali
19	Sardar Samand	Pali
20	Jakham	Pratapgarh
21	RajSamand	Rajsamand
22	Bisalpur	Tonk
23	Galwa	Tonk
24	Jaisamand	Udaipur
25	UdaiSagar	Udaipur